संख्या-382/2026/नौ-5-2026/002-Computer No-2070646

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया (बलिया)।
2-अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, खमरिया (भदोही), ऊँचाहार (रायबरेली), लालगोपालगंज (प्रयागराज)।

नगर विकास अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2026**

विषय:- राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत नाला निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि के लैप्स हो जाने के दृष्टिगत धनराशि पुन: अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-84/न0पा0प0बलिया/2026-27 दिनांक 15.05.2026, पत्र संख्या-117/न0पं0ख0 दिनांक 23.06.2026, पत्र संख्या-176/न0पं0उचॉ0/2026-27 दिनांक 25.06.2026, पत्र संख्या-1451/न0पं0लाल0/2026-27 दिनांक 12.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गत वित्तीय वर्षो में राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत नाला का निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का आहरण संबंधित कोषागार से निर्धारित समयान्तर्गत न होने के कारण धनराशि पुन: आवंटित/अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत कार्यहित में उपरोक्त परियोजनाओं हेतु लैप्स धनराशि को पुन: स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार में नाला निर्माण कार्य हेतु रू0 705.29 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 321.00 लाख (रुपये तीन करोड़ इक्कीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद	निकाय का नाम	पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	भदोही	नगर पंचायत, खमरिया,	शासनादेश संख्या-581/2026/नौ-5-2025/001-Com No-2007751 दिनांक 17.01.2026	187.56	90.00
2	रायबरेली	नगर पंचायत, ऊँचाहार,	शासनादेश संख्या-334/2025/नौ-5-2025/001-Com.No-1982756 दिनांक 31-10-2025	118.00	60.00
3	बलिया	नगर पालिका परिषद, बलिया,	शासनादेश संख्या-451/2024/नौ-5-2024/001-Com.No-1873779 दिनांक 04-12-2024	196.05	70.00

4	प्रयागराज	नगर पंचायत, लालगोपालगंज,	शासनादेश संख्या-605/2025/नौ-5-2025/001-Com No-1885676 दिनांक 10.01.2025	203.68	101.00
योग:-				**705.29**	**321.00**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गात शासनादेश संख्या-3355/नौ-5-2025-63सा/2025 दिनांक 10 जून, 2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
6. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
7. कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
11. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्ले्ख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
12. अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्ड र की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,21,00,000 (रुपये तीन करोड़ इक्कीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-**382/2026/नौ-5-2026/002-Computer No-2070646,** तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, बलिया/भदोही/रायबरेली/प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया विषयगत कार्य में हुई लापरवाही के संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही कराते हुए आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-13/08/2026

प्रेषण संख्या:- 382
आवंटन आदेश संख्या:- 001-382-2026-9-5-2026-002-CN-2070646
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	प्रयागराज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10100000 40266000	10100000 40266000
2	बलिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7000000 79976000	7000000 79976000
3	रायबरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 40383000	6000000 40383000
4	भदोही-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 21591000	9000000 21591000
	योग	वर्तमान प्रगामी	32100000 182216000	32100000 182216000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इक्कीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ बाइस लाख सोलह हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव